

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या...../पटना, दिनांक.....

चूंकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम -परांट, थाना -अमौर थाना न० 451, परगना-वाडौर, जिला -पूर्णिया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् कोशी योजना अंतर्गत महानन्दा दायों तटबंध के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांकित ग्राम - परांट, थाना न०-451 के भीतर भूमि का टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के 7.605 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अंश खेसरा सं० निम्नांकित है:-अर्जित अंश खेसरा संख्या:-24, 211, 63, 64, 65, 123, 124, 122, 125, 121, 126, 127, 128, 120, 119, 129, 130, 118, 131, 115, 114, 133, 134, 135, 136, 172, 171, 170, 194, 205 एवं 192, तथा जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

चौहदी
-क-

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पूरब - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पश्चिम- अंश खेसरा सं०:-24 एवं 211

चौहदी
-ख-

उत्तर - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
दक्षिण - सीमा रेखा ग्राम -मडुआ
पूरब - अंश खेसरा सं० -64,65,122,121,120,119,118,115,114,133,135, 136, 172, 171, 170, 193, 194 एवं 205.
पश्चिम- सीमा रेखा ग्राम-मडुआ अंश खेसरा सं०:-63, 62, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 115, 114, 133, 134, 136, 172, 171, 170, 193 एवं 192

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला,लोहा,पत्थर,स्लेट या अन्य खनिजों को खोदने की आवश्यकता नहीं है,किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना /हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम,1894 की धारा-6 और अधिनियम 18,1885 की धारा-3 के खण्ड-1 के उपबन्धों की अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 एवं भू-संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

विशेष, भू अर्जन पदाधिकारी,
कोशी योजना, सहरसा।

अपर समाहर्ता,
पूर्णिया।

समाहर्ता आयुक्त,
पूर्णिया।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के सचिव


ज्ञापांक:- 2878/पटना, दिनांक:- 11/12/2013

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य प्रशाखा जिला गजट प्रकाशन शाखा, पूर्णिया को जिला के अगले अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, सहरसा को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती हैं।

(2)-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करने हेतु भेजी जाती हैं।

(3)-निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के सचिव,

बिहार, पटना।